

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 22/2024(GCMS : 2024/42)

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, मुख्य शाखा, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अतुल सरदाना, क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. श्रीमती कैलाश रानी पत्नी श्री महावीर, वार्ड नं. 01, गांव ख्यालीवाला (16एमएल), श्रीगंगानगर (राज.) एवं प्लॉट नं. ए-16, वार्ड नं. 01, गोविंदम एन्क्लेव, गांव ख्यालीवाला (16 एमएल), श्रीगंगानगर (राज.)
2. श्री महावीर पुत्र श्री पृथ्वीराज वार्ड नं. 01, गांव ख्यालीवाला(16एमएल), श्रीगंगानगर (राज.) एवं प्लॉट नं. ए-16, वार्ड नं. 01, गोविंदम एन्क्लेव, गांव ख्यालीवाला (16 एमएल), श्रीगंगानगर (राज.)



15.04.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण कैलाश रानी एवं महावीर को ऋण सुविधा के रूप में राशि 15.84/- लाख रुपये, (अखरे रुपये पन्द्रह लाख चौरासी हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.05.2022 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 30.10.2023 तक की बकाया राशि 17,71,108/- थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कैलाश रानी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. ए-16(पट्टा नं. 14487), किला नं 17 मुरब्बा नम्बर 17(क्षेत्रफल 1162.50 वर्गफुट) चक 16 एमएल गोविंदम एन्क्लेव(11 एलएनपी), गांव ख्यालीवाला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण कैलाश रानी एवं महावीर को ऋण सुविधा के रूप में 15.84/-लाख रुपये (अखरे रुपये पन्द्रह लाख चौरासी हजार मात्र) की स्वीकृति

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

दिनांक 21.05.2022 प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कैलाश रानी ने अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. ए-16(पट्टा नं. 14487), किला नं 17 मुरब्बा नम्बर 17(क्षेत्रफल 1162.50 वर्गफुट) चक 16 एमएल गोविंदम एन्क्लेव (11 एलएनपी), गांव ख्यालीवाला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 28.10.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, जो ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार उन्हें प्राप्त नहीं हुए इसलिए प्रार्थी बैंक ने 13(2) के नोटिस की चस्पांदगी की कार्यवाही की गई। प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण की बंधक सम्पत्ति पर चस्पा कर, दिनांक 10.11.2023 को दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित करवाया गया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी कैलाश रानी द्वारा बंधक रखी अपनी रिहायशी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. ए-16 (पट्टा नं. 14487), किला नं. 17, मुरब्बा नम्बर 17 (क्षेत्रफल 1162.50 वर्गफुट), चक 16 एमएल गोविंदम एन्क्लेव (11 एलएनपी), गांव ख्यालीवाला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 30.10.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 30.10.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.11.2023 को भिजवाये गये थे, जो अप्रार्थीगण को तामील नहीं हुए और दिनांक 04.11.2023 प्रार्थी बैंक में लौटकर आ गये। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण की बंधक सम्पत्ति पर दिनांक 07.11.2023 को चस्पा कर, दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 10.11.2023 को प्रकाशित करवाये है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी कैलाश रानी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी कैलाश रानी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अपनी रिहायशी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. ए-16 (पट्टा नं. 14487), किला नं. 17, मुरब्बा नम्बर 17 (क्षेत्रफल 1162.50 वर्गफुट), चक 16 एमएल गोविंदम एन्क्लेव (11 एलएनपी), गांव ख्यालीवाला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री मंगानगर

हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति पर किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(लोकबंधु)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर